20/2024

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19. कोषागार, इटावा

11 JAN 2024

उत्तर प्रदेश

AL 236604

फोटो प्रमाणित

ए. के. फाउंडेशन, 192 बी, फ्रेंड्स कॉलोनी, इटावा (उ०प्र०)

का

न्यास विलेख

यह न्यास विलेख आज दिनांक 20.04.2024 को श्री गौरव यादव पुत्र श्री अजंट सिंह यादव निवासी 192 बी, फ्रेंड्स कॉलोनी, जनपद इटावा (उ०प्र०) जिन्हें न्यास संस्थापक / प्रबन्धक / चेयरमैन (अन्यथा सन्दर्भित न होने की दशा में उत्तराधिकारी हितबद्ध - उत्तराधिकारी प्रतिनिधि, प्रशासक न्यासी सदस्य तथा समुनिदेशती आदि को सम्मिलित करते हुए समझा जायेगा) सन्दर्भित किया गया है, द्वारा निष्पादित किया जा रहा है ।

अतः न्यास संस्थापक / प्रबन्धक / चेयरमैन द्वारा रु० 10000/- (दस हजार रू०) एकमुश्त धनराशि अभिदान कर शिक्षा प्रसार एवं अन्य समाज विकास सम्बन्धी क्रिया कलाप जो आगे विवरणित है के सम्बर्द्धन हेतु एक न्यास की स्थापना की जा रही है और निम्न विवरणित सम्बन्धो के अनुसार न्यास संचालन हेतु संस्थापक / प्रबन्धक / चेयरमैन व नीचे नामित अन्य न्यासीगण द्वारा न्यास स्थापना एवं संचालन हेतु अपनी सहमति दी गयी है

अतः यह न्यास विलेख निम्नलिखित है -

1- न्यास का नाम ए. के. फाउंडेशन होगा |

2-न्यास संस्थापक / प्रबन्धक / चेयरमैन द्वारा प्रदत्त ऊपर विवरणित प्रारंभिक अभिदान धनराशि,एतद्वारा निम्नवत गठित न्यास की प्रबन्धशासन समिति को न्यासत धानित करने हेतु हस्तान्तरित की जा रही है।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (2) 21 MAR 2024 GL 798708

कोषागार इटावा उत्तर प्रदेश

नवगठित प्रबन्धन्यासी समिति के पदाधिकारी

(i)श्री गौरव यादव पुत्र श्री अजंट सिंह यादव निवासी 192 बी, फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा: मुख्य प्रबन्ध न्यासी व सचिव

(ii) श्री अजंट सिंह यादव पुत्र श्री जिलेदार सिंह निवासी 192 बी, फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा: उपप्रबन्ध न्यासी

(iii) श्रीमती राधा यादव पुत्री श्री राम नरेश सिंह निवासी 192 बी, फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा: कोषाध्यक्ष न्यासी

3- न्यास निष्पादन के उपरान्त यह न्यास एक अलाभकारी गैरसरकारी, गैर राजनैतिक स्वैच्छिक संगठन है जो धर्म, जाति, वर्ग, राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में कार्य करेगा।

4- न्यास का पंजीकृत कार्यालय 192 बी, फ्रेंड्स कॉलनी, इटावा में स्थापित होगा जिसे न्यास बोर्ड सर्वसम्मति से निर्णय लेकर सभी सम्बद्ध को सूचित कर किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा |

5- <u>न्यास संस्थापना के लक्ष्य एवं उद्देश्य</u>

(i) शिक्षा सम्बर्द्धन, प्रसार व प्रोन्नति हेतु विद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्र, विद्यापीठ, बाल मन्दिर, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय स्वायत्त कॉलेज, पोलीटेकनिक, पेशेवर संस्थानों, औद्योगिक स्कूल, चिकित्सा और चिकित्सा अनुसंधान आदि संस्थानों की स्थापना, संचालन, अधिग्रहण एवं सहयोग कर विद्यार्थियों का शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (3) GL 798709

19. कोषागार, इटावा 21 MAR 2024 उत्तर प्रदेश

(ii) अन्य विद्यालयों व संस्थाओं को शिक्षा सम्वर्धन में आर्थिक सहयोग, सहभागिता करना।

(iii) विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति एवं ऋणसुविधायें व अन्य सभी प्रकार की सहायता प्रदान करना।

(iv) शिक्षा सम्बर्धन एवं विद्यार्थियों के चारित्रिक, शारीरिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, म्यूजियम क्रीडाकेन्द्र आदि की स्थापना करना।

(v) समाज में स्वास्थ्य सम्बर्धन हेतु चिकित्सालय व डिस्पेन्सरी स्थापित करना व आर्युविज्ञान संस्थान, नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान आदि स्थापित करना व प्रबधंन करना।

(vi) अन्य चिकित्सालयों एवं स्वास्थय सेवा सम्बन्धी संस्थानों को दवाइयां एम्बुलेंस सुविधा व अन्य प्रकार से सहायता व सहयोग करना।

(vii) समाज के विभिन्न गरीब व्यक्तियों को शिक्षा, इलाज, उनके सामाजिक उत्थान व बच्चों तथा महिलाओं के विकास व कल्याण हेतु सहयोग व आर्थिक समर्थन प्रदान करना।

(viii) गौशाला, वृद्धावस्था आश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन आदि की व्यवस्था। उपरोक्त सभी लक्ष्यों एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यास बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृति एवं अनुमोदित योजना अन्तर्गत कार्यक्रम व प्रोजेक्ट के अनुरूप ही न्यास द्वारा कार्यक्रम संचालित होंगे।

(ix) नेत्र अनुसंधान संस्थानों, फाउंडेशनों, नेत्र अस्पतालों, दंत चिकित्सा अस्पतालों, पैथोलॉजी और प्रयोगशाला चिकित्सा सेवाओं, डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी सेवाओं और ऐसे अन्य चिकित्सा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करना।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (4) CH 838671

(x) बाल गृह, अनाथालय, दया गृह, वृद्धाश्रम और इसी तरह के संस्थानों को स्वयं या समान विचारधारा वाले संगठनों या सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में स्थापित करना, चलाना व प्रबंधित करना।

(xi) ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप सभी प्रयासों, परियोजनाओं और योजनाओं में सरकार के साथ गठबंधन और सहयोग करने के लिए और अनुदान, धन और सहायता प्राप्त करने और आवश्यकतानुसार उन्हें लागू करने और उपयोग करने के लिए।

(xii) समान विचारधारा वाले अन्य प्रतिष्ठानों और सरकार के सहयोग से स्कूलों, कॉलेजों और ऐसे संस्थानों के माध्यम से बच्चों और वयस्कों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाओं और स्वचालित सेवाओं के उपयोग को फैलाना, लोकप्रिय बनाना और बढ़ावा देना।

(xiii) रोगों के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बनाने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, वायरल संक्रमण, संचारित रोगों, एचआइवी-एड्स पर जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।

(xiv) प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि की स्थिति में चिकित्सा और अन्य राहत प्रदान करने के लिए, एनडीआरएफ, अर्धसैनिक और पुलिस बलों के सहयोग से सहायता प्रदान करना।

(xv) कार्यरत शल्य चिकित्सकों और दवा अधिकारियों, नर्सों, डॉक्टरों और परिचारकों और अन्य धर्मार्थ चिकित्सा संस्थानों को सभी चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और फार्मास्युटिकल उपकरणों और परिवहन रोगियों के लिए घर से अस्पतालों और वापस तक आपूर्ति में सहायता प्रदान करना।

(xvi) व्यापक रूप से जनता के सामान्य लाभ के लिए चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग और ऐसे अन्य विषयों में अनुसंधान की उन्नति के लिए अनुदान, छात्रवृत्ति, फैलोशिप और इसी तरह की वित्तीय सहायता या प्रोत्साहन प्रदान करना।

Gaanu

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(5)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

85AE 865285

(xvii) एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, अन्य किसी भी सिस्टम या मेडिकल और इजीनियरिंग स्कूलों, कॉलेजों और इसी तरह के संस्थानों की सभी शाखाओं की स्थापना, रखरखाव और समर्थन करने के लिए, विशेष रूप से नई दवाओं के विकास के सदर्भ में और उनके लिए दान प्राप्त करने और विदेशी अनुसंधान संस्थानों के साथ जुड़ने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य और विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए।

(xviii) ब्लड बैंक, आई बैंक की स्थापना करना और अस्पतालों, विज्ञान प्रौद्योगिकी और चिकित्सा अनुसंधान फाउंडेशन या स्कूलों को बनाए रखना और आंख, रक्त और अंग दाताओं का डेटा बेस बनाना ताकि बड़े पैमाने पर जनता इससे लाभान्वित हो सके और प्रत्यारोपण कार्यों में सहायता कर सके।

(xix) बच्चों की किंडरगार्टन शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रदान करना, कक्षाएं संचालित करना, विशेष कक्षाएं और ट्यूशन कक्षाएं आयोजित करना।

(xx) मशीनरी का आयात करना, अनुसंधान के उद्देश्य के लिए उपकरण प्राप्त करना, विशेष रूप से चिकित्सा, वैज्ञानिक और अनुसंधान के क्षेत्र में विदेशी सहायता के रूप में दान प्राप्त करना और ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका उपयोग करना।

(xxi) नेत्रहीन, बहरे और गूंगे बच्चों और लड़कियों के लिए हर संभव मदद और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों और सीखने की क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान कराना।

(xxii) गरीब परिवारों के बच्चों को भोजन, कपड़े, चिकित्सा देखभाल और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रायोजक परिवारों / व्यक्तियों / कॉर्पोरेट के साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाना।

(xxiii) ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों, क्लीनिकों, चिकित्सा, जांच और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करना, गरीबों को चिकित्सा राहत की सुविधा प्रदान करना |

(xxiv) न्यास के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकें, पत्रिकाएं, पत्रक, ब्रोशर और पेपर लाना, प्रकाशित करना और बेचना और पुस्तकालयों, वाचनालय को खोलना और बनाए रखना |

(xxv) अक्षम या विकलांग या मानसिक / शारीरिक रूप से विकलांग और आर्थिक रूप से अयोग्य जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए आवश्यक चिकित्सा सहायता और अन्य सहायता की व्यवस्था करना और प्रदान करना।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(6)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 85AE 865286

(xxvi) छात्रावासों, अल्प प्रवास गृहों, पुनर्वास केन्द्रों, आश्रयों, शिशु गृहों, बाल देखभाल केन्द्रो की स्थापना, निर्माण, अधिग्रहण या प्रबंधन के लिए या महिलाओं, बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों, नशा करने वालों और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए बाल गृह, परामर्श केंद्र और हेल्प लाइन केंद्रो की स्थापना |

(xxvii) जागरुकता शिविर, स्वास्थ्य शिविर, मार्च, कार्यशालाएं, अभियान और प्रदर्शनी, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित करना और उनके उपयोग और उपभोग के लिए सहायक उपकरण और सहायता प्रदान करना।

(xxviii) योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मालिश चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, रेकी आदि जैसे पारंपरिक उपचारों को बढावा देना।

(xxix) पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा इस उद्देश्य हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिविद्वत करना।

(xxx) उद्यान (पार्क), व्यायामशाला, क्रीडा क्लब, विश्राम गृह, मनोरंजन क्लब, धर्मशाला आदि की जनसामान्य के उपयोग के लिए स्थापना करना, उन्हें चलाना तथा उनकी सहायता करना।

(xxxi) अनुदान/ दान आदि से आय प्राप्त करने के लिए न्यास परिषद के मुख्य प्रबन्धन्यासी ही अधिकृत होंगे।

(xxxii) प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न योजनाओं को संचालित करने हेतु गैर सरकारी संस्था (एन॰जी॰ओ॰) के रूप में सहभागिता करना|

उपरोक्त सभी क्रिया-कलापों हेतु राज्य/ केन्द्र सरकार/अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें/ अन्य राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टों तथा जागरूक व्यक्ति से अनुदान / मदद प्राप्त करना।

प्रोजक्ट के अनुरूप ही न्यास द्वारा कार्यक्रम प्रबन्धन संचालित होंगे |

6- ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र: सम्पूर्ण भारत

7- प्रबन्ध शासी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

अ- मुख्य प्रबन्ध न्यासी

(i) न्यास का प्रशासनिक पदाधिकारी होगा |

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(7)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

85AE 865287

(ii) न्यासीगण व अन्य समितियों जिनके वह सदस्य होंगे की बैठकों की अध्यक्षता करना |

(iii) न्यास की अदालती कार्यवाही करना |

(iv) न्यास के अंतर्गत संचालित विद्यालयों, इकाइयों, केन्द्रों के अध्यक्ष के साथ सलाह कर प्रधानाचार्य, कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं कारीगरों, लिपिक, चपरासी, स्वीपर, सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्निति, पदोच्युत करना, वेतन तय करना व भुगतान करना व संस्था के समस्त स्टाफ की चरित्र पंजिकाओं को रखना, उनके कार्य के आधार पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रविष्टी करना, कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा प्रथक या निलम्बित करना |

(v) न्यास के चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, हस्तान्तरण, किराये, विक्री, पट्टे पर लेन-देन सम्बन्धित प्रपत्रों, दस्तावेजों, शर्तनामों आदि पर हस्ताक्षर करना |

(vi) सदस्यों की सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा आदि के लिए मुख्य प्रबन्ध न्यासी एवं कोषाध्यक्ष में से एक के हस्ताक्षर रसीदों पर आवश्यक होंगे |

(vii) न्यास के सभी प्रकार के खातों का संचालन करना |

(viii) न्यास की ओर से प्रयुक्त किये जाने वाले सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों व बैठक की कार्यवाही पर हस्ताक्षर करना |

(ix) अपने सामान्य मत के अतिरिक्त विचारणीय विषय पर न्यासियों के पक्ष विपक्ष में बराबर मत होने पर निर्णायक मत देना |

<u>ब- उप प्रबन्ध न्यासी</u>

(i) मुख्य प्रबन्ध न्यासी की अनुपस्थिति में न्यास की अध्यक्षता करना।

(ii) न्यास के प्रत्येक कार्य की जाँच करना एवं सुझाव देना।

(iii) न्यास के समस्त क्रियाकलाप व गतिविधियों का मुख्य प्रबंध न्यासी की सहमति से नियंत्रण व मार्ग दर्शन करना।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(8)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

85AE 865288

स- सचिव न्यासी

(i)न्यास के कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यालय प्रमुख के रूप में नियंत्रण व संचालन करना।

(ii)सभी प्रकार के पत्राचार करना |

(iii)आय व्यय का सामान निरीक्षण व व्यय लेख पर नियंत्रण |

(iv)न्यास के सभी रजिस्टर व अभिलेखों को अध्यनत रखना।

(v) मुख्य प्रबंध न्यासी एवं सह प्रबंध न्यासी द्वारा सौंपे गयें अधिकारों का प्रयोग करना |

(vi) बैठकों की कार्यवाही अंकित करना व न्यास की ओर से महत्वपूर्ण सूचना एवं अभिलेखों को प्रस्तुत करना |

(vii) कोषाध्यक्ष के साथ सभी आय व्यय सम्बन्धी विवरण एवं बाउचर के समयक रख रखाव के लिये उत्तरदायी होना |

(viii) बैठकों की कार्यवाहियों का संचालन करना |

द- कोषाध्यक्ष न्यासी

(i)न्यास के आय व्यय सम्बन्धी सभी लेखों एवं रिकार्डस के उचित रख रखाव के लिये उत्तरदायी होना।

(ii)न्यासीगण द्वारा अनुमोदित बैंक खातों में न्यास द्वारा प्राप्त सभी जमा संग्रहीत अभिदान राशि को जमा करना |

(iii) न्यास की वार्षिक आय विवरणी व तुलन पत्र तैयार करना, उनका अंकेक्षण करवाना एवं न्यास बोर्ड की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।

(iv) बैंक द्वारा चैक बुक प्राप्त करना, मुख्य प्रबंध न्यासी के साथ संयुक्त रूप से देयतयों की चैक जारी करना, चैकों का विवरण रखना व जमा रसीदों, ड्राफ्ट, शेयर, डिबेंचर, एनएससी आदि सिक्योरिटीज मूल रूप से सुरक्षित रखना.

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

(9)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

85AE 865289

8- न्यास गठन व प्रशासन

(i) गठन के प्रारम्भ में न्यास बोर्ड के निम्न न्यासी सदस्य होंगे |

1. श्री गौरव यादव : मुख्य प्रबन्ध न्यासी व सचिव

2. श्री अजंट सिंह : उप प्रबन्ध न्यासी

3. श्रीमती राधा यादव : कोषाध्यक्ष

उक्त सभी न्यासी न्यास के आजीवन न्यासी / पदाधिकारी होंगे |

(ii) _श्री गौरव यादव, मुख्य प्रबन्ध न्यासी/ संस्थापक/ प्रबन्धक/ चेयरमैन- न्यास के आजीवन मुख्य प्रबन्ध न्यासी एवम सचिव होंगे तथा श्री अजंट सिंह आजीवन उप प्रवन्ध न्यासी/बाइस चेयरमैन होंगे। मुख्य प्रबन्ध न्यासी/संस्थापक / चेयरमैन का पद रिक्त होने पर उनका वारिस ही न्यास के समस्त पदाधिकारियों की आपसी सहमति से ही मुख्य प्रबन्ध न्यासी का पद ग्रहण करेगा | जब तक वारिस मुख्य प्रबन्ध न्यास के पद पर नियुक्त न हो तब तक उप प्रबन्ध न्यासी मुख्य प्रबन्ध न्यासी का पद कार्यवाहक के रूप में ग्रहण करेगा) उप प्रबन्ध न्यासी का पद रिक्त होने पर उनका वारिस न्यास के समस्त पदाधिकारियों की आपसी सहमति से ही उप प्रबन्ध न्यासी होगा|

(iii) न्यासी बोर्ड में उपरोक्त न्यास सदस्यों के परिवार के सदस्य ही न्यास सदस्य के रूप में सम्मिलित/नियुक्त किये जायेंगे | न्यास बोर्ड में न्यूतनम 2 व अधिकतम 7 सदस्य / पदाधिकारी होंगे | न्यास विलेख के पैरा 8(I) के नामित न्यास बोर्ड के तीन पदाधिकारियो के अतिरिक्त चार सदस्यों की रिक्तपूर्ति आजीवन मुख्य प्रबन्ध न्यासी द्वारा अपने परिवार के वयस्क सुपात्र व्यक्ति से, न्यास बोर्ड के शेष सदस्यों के बहुमत की सहमति से की जा सकती है | न्यास बोर्ड का सदस्य अपने जीवन काल में अपने स्थान पर अपने वारिस को समनुदेशित / नियत (Assign) कर सकता है। न्यास बोर्ड के किसी सदस्य के मृत्यु की दशा में प्रथमत उसकी पत्नी / पति की अनुपलब्धता या असहमति की दशा में कथानुगत उसकी संतानों में पुत्रगण और पुत्र न होने की दशा में पुत्री न्यास बोर्ड की सदस्य होगी। विशेष परिस्थिति में ही न्यास बोर्ड की सर्वानुमति से ही उपरोक्त प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों की अनुपलब्धता में ही अन्य विधिक उत्तराधिकारियों में सुपात्र प्रतिनिधि न्यास बोर्ड में नियुक्ति का अधिकारी होगा |

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रू.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

(10)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 85AE 865290

(iv)- न्यास के उद्देश्यों एवं वृहत्तर हितों के विपरीत यदि न्यास बोर्ड के किसी सदस्य को असामाजिक गतिविधियों, न्यास की साख धूमिल किये जाने, न्यास की परिसम्पत्तियों को दुर्विनियोग या गबन या अन्य अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो न्यास बोर्ड सदभावना पूर्ण विचार कर 2/3 बहुमत से ऐसे दोषी सदस्य की न्यास बोर्ड की सदस्यता समाप्त कर सकता है और न्यास सम्पत्ति की वसूली व अन्य विधिक कार्यवाही भी कर सकता है।

(v)- उत न्यास के प्रथम तीनों न्यासी/पदाधिकारियो के अतिरिक्त पदाधिकारियों/सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति व प्रभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष का होगा और कार्यविधि के समाप्ति के पूर्व ही नये पदाधिकारियों / सदस्यों का चयन/नियुक्ति न्यास बोर्ड द्वारा बहुमत से की जायेगी।

(vi)- न्यास बोर्ड की बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 और कम से कम दो सदस्य होगा और विचारण हेतु प्रस्तुत विषय पर बहुमत से निर्णय लिया जायेगा।

(vii)- न्यास बोर्ड की बैठक सचिव द्वारा विचारण हेतु प्रस्तुत विषय सूची के साथ न्यास बोर्ड के मुख्य प्रबन्ध न्यासी की पूर्वानुमतिध्अनुमोदन के सामान्यतः तीन दिन के नोटिस के साथ बुला सकेगा। विशेष परिस्थिति में आकस्मिक बैठक भी सभी न्यास बोर्ड के सदस्या को पूर्व सूचना देकर कभी भी बुलायी जा सकती है।

(viii) न्यास बोर्ड की बैठक कार्यवाही व निर्णय कार्यवाही को पुस्तिका में सचिव द्वारा अंकित किया जायेगा और बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होंगे जिनकी पुष्टि अगली बैठक में की जायगी और ऐसी कार्यवाही निश्चयात्मक साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगे।

(ix)- न्यास बोर्ड ऐसे सदस्य जो बैठक में उपस्थित नहीं हो पा रहे है विचारणीय विषय पर अपना अभिमत लिखित भेज सकते है और उनका सम्बन्धित विषय पर उनके मत के रूप में स्वीकार किये जायेंगे। इसी प्रकार ऐसा कोई प्रस्ताव जो प्रसारण द्वारा बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर स्वीकार किया जायेगा, भी मीटिंग में पारित प्रस्ताव के समुतल्य प्रभावी व पारित माना जायेगा और आगामी बैठक की कार्यवाही में अंकित किया जायेगा। बैठक की सूचना न्यास बोर्ड के सदस्यों को उनके पते पर निर्गत की जावेगी.कार्यवाही पुस्तिका न्यास बोर्ड के सभी उपास्थितसदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेंगी।

(x)- न्यास बोर्ड आवश्यकतानुसार न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु समय समय पर योजनायें, नियम, उपनियम, सृजित कर सकेंगे और तदानुसार न्यास का प्रबन्धन संचालित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 85AE 865291

(xi)- निम्न दशाओं में न्यास बोर्ड के पदाधिकारी व सदस्य की सदस्यता स्वयमेव समाप्त मानी जायेगी।

अ- मृत्यु होने पर

स- दिवालिया घोषित होने पर

ब-न्यास बोर्ड की सदस्यता से त्याग पत्र देने पर

द- मानसिक विक्षिप्तता या पागल होने पर

9- न्यास बोर्ड के अधिकार एवं कर्तव्य

न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास बोर्ड के निम्नवत अधिकार व कर्तव्य होगा।

(i)- किसी व्यक्ति, व्यक्ति समूह, संस्था, फर्म, एसोशिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से नकद या वस्तु के रूप में दान, सहायता, अभिदान प्राप्त करना

(ii)- न्यास की अचल सम्पत्ति भवन व भूमि को निश्चित समयाविधि के लिये किराये आदि पर उन शर्तों व सीमाओं तक देना जिन्हें न्यास बोर्ड, न्यास के हितों में मानती हो।

(iii)- न्यास की आय को न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों हेतु न्यास बोर्ड के निर्णयानुसार विभिन्न योजनाओं व मदों में व्यय करना

(iv) न्यास के नियम उपनियम, विनियमन व योजनाओं में न्यास प्रबंधन की बेहतरी के लिए न्यास बार्ड की सर्वसम्मति से संशोधन करना व सृजित करना।

(v)- शासन, प्रशासन, सार्वजनिक निकाय, निगम, कम्पनी तथा संस्थाओं से न्यास हित एवं न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान /ऋण आदि प्राप्त करने के लिए प्रयास व वांछित कार्यवाहियां व औपचारिकतायें पूरी करना।

(vi)a -न्यास के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु समय-समय पर न्यास की सम्पतियों का विक्रय करना बन्धक रखना, पट्टे पर देना, लाइसेन्स पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(12)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 85AE 865292

(vi)b - आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 (1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन योजनाओं में लगाना।

(vi)c -विभिन्न योजनाओं में लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना, उसमे परिवर्तन करना या निरस्त करना।

(vii) -न्यास बोर्ड अपने द्वारा स्वीकृत विशिष्ट परियोजना या कार्यक्रम का संचालन एवं व्यवस्था हेतु उपसमितियां गठित कर सकेगा जो अन्ततः न्यास बोर्ड के अधीन व मार्ग दर्शन में, सौंपे गये कार्य का प्रबंधन करेगी।

(viii)-न्यास बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर न्यास की चल अचल सम्पत्ति, बाण्ड शेयर आदि को बन्धक रखकर बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण व अन्य सुविधायें प्राप्त कर सकता है।

(viii)a-न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्ते एवं वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यकितयों को न्यास के कार्यों हेतु नियुक्ति करना एवं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवायें समाप्त करना | न्यास परिषद के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा या चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(ix)- न्यास बोर्ड के पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाहन करने हेतु उचित पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे।

(x)- न्यास के खाते किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस या प्राइवेट बैंक में न्यास के नाम से न्यास बोर्ड के प्रस्ताव के अनुरूप खोले जायेंगे। ऐसे खातों का संचालन मुख्य प्रबन्ध न्यासी के हस्ताक्षर से किया जायेगा। रूपये में पचास हजार से कम का आहरण मुख्य प्रबन्ध न्यासी या कोषाध्यक्ष में से, किसी एक के हस्ताक्षर से भी किया जा सकेगा।

(xi)- न्यास की ओर से न्यास हितों की संरक्षा एवं अनुरक्षण हेतु सभी प्रकार के वाद फाइल करने एवं न्यास के विरूद्ध लगाये गये वादों में न्यास का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये मुख्य प्रबंध न्यासी या उप प्रबन्ध न्यासी ही अधिकृत होंगे।

(xii)- न्यास के उदेश्यों की पूर्ति के लिए अन्य संस्थाओं का गठन किया जा सकेगा |

(xiii)-इस न्यास के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाओं की प्रबन्ध समितियां को किसी भी समय बिना कारण बताए विघटित कर देना और उसके स्थान पर दूसरी प्रबंध समिति को मनोनीत करने का अधिकार मुख्य प्रबन्ध न्यासी की संहमति से न्यास बोर्ड का होगा।

Scanned with OKEN Scanner

https://igrsup.gov.in/igr...

आवेदन सं०: 202400838007102

न्यास पत्र

वही सं०: 4 2024 रजिस्ट्रेशन सं०: 20

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क - 850 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री गौरव यादव ,
पुत्र श्री अजंट सिंह यादव
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: 192 बी. फ्रेण्ड्स कॉलोनी जनपद इटावा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 16/05/2024 एवं 04:12:31 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कुलदीप कुमार सक्सेना प्रभारी उ०नि०
उप निबंधक :सदर
इटावा
16/05/2024

अनिल कुमार .
निबंधक लिपिक
16/05/2024

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
85AE 865293

(13)

(xiii)a-यदि किसी कारणवश इस ट्रस्ट के अन्तर्गत चलने वाली कोई भी संस्था समाप्त होती हैं, तो ऐसी स्थिति में संस्था की चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(xiii)b- यदि कोई समान उद्देश्यों वाली समिति या संस्था या ट्रस्ट अपनी चल व अचल सम्पत्ति अपना स्कूल व कालेज, हॉस्टल आदि किन्ही कारणोवश इस ट्रस्ट को प्रदान करने का निर्णय लेते हैं या प्रस्तावित करते है तो उसको स्वीकार किया

जा सकता है एवं अपने नियन्त्रण में लिया जा सकेगा। जिसकी सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति इस ट्रस्ट के स्वामित्व और कब्जा में हमेशा के लिए होगी।

(xiv)- न्यास बोर्ड 3/4 के बहुमत से पारित प्रस्ताव व व्यवस्था के अनुरूप ही न्यास को विघटित या विलयन किया जा सकता है बशर्ते न्यास की समस्त देयताओं का भुगतान कर अवशेष आस्तियों किसी समान लक्ष्य व उद्देश्य वाली समिति या न्यास को अंतरित की जा सकेगी।

(xv)- न्यास बोर्ड के समस्त लेख अभिलेख वावत न्यास सम्पत्ति न्यास के पंजीकृत कार्यालय पर रखे जायेंगे।

(xvi)- आय-व्यय लेखा हेतु आय-व्यय वर्ष प्रत्येक एक अप्रैल से आगामी वर्ष में 31 मार्च माना जायेगा और तदानुसार आय-व्यय विवरण तुलन पत्र तैयार किये जाने का उत्तरदायित्व सचिव कोषाध्यक्ष को होगा तथा आय-व्यय विवरण का वार्षिक अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा करवाया जाना अनिवार्य होगा और समस्त विवरणीय न्यास बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा।

(xvii)-न्यास किसी प्रकार के लाभ प्राप्त करने वाले व्यवसायिक गतिविधियों को सचालन नहीं करेगा और न्यास बोर्ड के सदस्य न्यास में प्राप्त होने वाले आय को निजी लाभ में प्रयोग में नहीं ला सकेंगे।

(xviii)-न्यास के क्रियाकलाप व प्रबन्धन हेतु आवश्यकतानुसार अधिकारी कर्मचारीगण, शिक्षक, संस्था प्रमुख आदि की योग्यता, क्षमता व तदनुरूप निर्धारित सेवा शर्तों पर नियुक्ति किये जाने का सर्वाधिकार मुख्य प्रबन्ध न्यासी का ही होगा और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को सेवा से -- प्रथक किये जाने या दण्डित किये जाने का अधिकार प्रमुख प्रबन्ध न्यासी का ही होगा। नियुक्त कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने का अधिकार न्यास बोर्ड को होगा।

(xix)-न्यास बोर्ड की तीन से अधिक बैठकों में बिना समुचित कारण के अनुपस्थित रहने की दशा में न्यास बोर्ड आगामी बैठक में ऐसे न्यासी सदस्य की अनुपस्थिति पर सम्यक विचार करके उसकी सदस्यता समाप्त किये जाने का निर्णय ले सकता

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202400838007102

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 20 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: ।

श्री गौरव यादव, पुत्र श्री अजंट सिंह यादव

निवासी: 192 बी, फ्रेण्ड्स कॉलोनी जनपद इटावा

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री दिनेश चंद्र यादव, पुत्र श्री राम नरेश यादव

निवासी: यादव राइस मिल के सामने, यदुवंश नगर, जनपद इटावा

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

श्री अमित शर्मा, पुत्र श्री श्रीकांत शर्मा

निवासी: छिपैटी चौपार, जनपद इटावा

व्यवसाय: व्यापार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

कुलदीप कुमार सक्सेना प्रभारी
उ०नि०
उप निबंधक : सदर
इटावा
16/05/2024

अनिल कुमार
निबंधक लिपिक इटावा
16/05/2024

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(14)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

85AE 865294

है बशर्ते ऐसे निर्णय पर सम्बन्धित सदस्य के पक्ष पर विचार किया जाय और ऐसे निर्णय को मुख्य प्रबन्ध न्यासी की स्वीकृति एवं सहमति प्राप्त होवे।

(xx)- न्यासी बोर्ड को प्रति तीन माह में एक बार एवं साल में कम से कम चार बार अपनी बैठकें आयोजित करना अनिवार्य होगा।

(xxi)- व्यय की पुर्नप्राप्ति का अधिकार - ट्रस्ट सम्पत्ति के संरक्षण निष्पादन या न्यास के उद्देश्यों में होने वाले व्यय यदि कोई ट्रस्टी स्वय कर दे तो उसे उक्त व्यय को न्यास से पुनः प्राप्त कराने का अधिकार है।

(xxii)- ट्रस्ट के उदेश्यों को आगे बढ़ाने के लिये प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि को विज्ञापन देना, वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया का कानूतन इस्तेमाल करना।

(xxiii)- अन्य सभी मामले जिनका इस डीड में प्रावधान नहीं किया गया हैं लेकिन जो ट्रस्ट के उदेश्यों को पूरा करने के लिये और ट्रस्ट के प्रशासन के लिए आवश्यक हैं और क़ानूनी रूप से वैध हैं, पर प्रस्ताव पारित कर उचित निर्णय लेना।

मै गौरव यादव पुत्र श्री अजंट सिंह यादव निवासी 192 बी - फ्रेंड्स कॉलोनी, जनपद इटावा (उ०प्र०) यह विलेख पूर्ण होशोहवास में निम्न साक्षियों के समक्ष स्वतंत्र इच्छा व सहमति से उपरोक्त विवरणित शर्तों को पूर्णतः समझकर आज दिनांक ..16.. माह ...05... सन 2024 को उपनिबन्धक कार्यालय इटावा से निष्पादित करता हूँ।

(गौरव यादव)

मोबाइल नं: 9412556699

गवाह 1: श्री दिनेश चंद्र यादव पुत्र श्री रामनरेश यादव
निवासी यादव राइस मिल के सामने, यदुवंश नगर, इटावा
मोबाइल नं: 9412572697

गवाह 2: श्री अमित शर्मा पुत्र श्री श्रीकांत शर्मा
निवासी छिपैटी चौपार, इटावा
मोबाइल नं: 9557208883

अमित शर्मा

दस्तावेज लेखक का नाम गौरव शा
अनु० संख्या–01 दिनाँक 31/03/2025 तक विधिमान्य
जिला व स्थान--इटावा
ली गई फीस 101————रूपया
दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर 16/05/24

Scanned with OKEN Scanner